

भाग-IV

प्रमाणपत्र → ५६६३०/२०२०

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा
भरे जाने के लिये)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और
निर्दिष्ट सिफारिशें।

CE विवरण की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

१५/११/२०२०

पंकज मिश्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
हस्ताक्षर ३० प्र०, लखनऊ।

दिनांक—

स्थान—

नाम—

सरकारी मोहर